


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

अशोक कुमार मोची, व्या. हिन्दी, राउमावि बालेसरिया- बनेडा- भीलवाडा द्वारा राजस्थान सेवा नियम भाग-11 अध्याय 3 नियम 8 (क) के निर्णय सं. 05 अनुसार अपना नाम अशोक कुमार मोची के स्थान पर अशोक कुमार जीनगर करने की समस्त कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण किया है।

अतः अशोक कुमार मोची से संबंधित राजकीय सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों में इनका नाम अशोक कुमार मोची के स्थान पर अशोक कुमार जीनगर किये जाने की अनुमति/विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है। भविष्य में अशोक कुमार मोची से संबंधित आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम " अशोक कुमार जीनगर " से संबोधित किया जावे/जारी किया जावे।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/नाम परिवर्तन/14-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक, अजमेर
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, भीलवाडा
- 4 संबंधित संस्था प्रधान
- 5 अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर, कार्यालय हाजा
- 6 अशोक कुमार जीनगर, व्या. हिन्दी, राउमावि बालेसरिया- बनेडा- भीलवाडा
- 7 रक्षित पत्रावली

दिनांक-12/7/18



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्रीमती अनुपमा नोगिया, व्या. हिन्दी, राउमावि अरवड- अजमेर द्वारा राजस्थान सेवा नियम भाग-11 अध्याय 3 नियम 8 (क) के निर्णय सं. 05 अनुसार अपना नाम श्रीमती अनुपमा नोगिया के स्थान पर श्रीमती अनुपमा धवल करने की समस्त कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण किया है।

अतः श्रीमती अनुपमा नोगिया से संबंधित राजकीय सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों में इनका नाम श्रीमती अनुपमा नोगिया के स्थान पर श्रीमती अनुपमा धवल किये जाने की अनुमति/विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है। भविष्य में श्रीमती अनुपमा नोगिया से संबंधित आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम " श्रीमती अनुपमा धवल " से संबोधित किया जावे/जारी किया जावे।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/नाम परिवर्तन/14-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक, अजमेर
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, अजमेर
- 4 संबंधित संस्था प्रधान
- 5 अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर, कार्यालय हाजा
- 6 श्रीमती अनुपमा धवल, व्या. हिन्दी, राउमावि अरवड- अजमेर
- 7 रक्षित पत्रावली

दिनांक-12/7/18



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्रीमती प्रेमलता व्यास, व्या. हिन्दी, राउमावि सारंगपुरा-कानोड-उदयपुर द्वारा राजस्थान सेवा नियम भाग-11 अध्याय 3 नियम 8 (क) के निर्णय सं. 05 अनुसार अपना नाम श्रीमती प्रेमलता व्यास के स्थान पर श्रीमती प्रेमलता जोशी करने की समस्त कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण किया है।

अतः श्रीमती प्रेमलता व्यास से संबंधित राजकीय सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों में इनका नाम श्रीमती प्रेमलता व्यास के स्थान पर श्रीमती प्रेमलता जोशी किये जाने की अनुमति/विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है। भविष्य में श्रीमती प्रेमलता व्यास से संबंधित आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम " श्रीमती प्रेमलता जोशी " से संबोधित किया जावे/जारी किया जावे।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/नाम परिवर्तन/14-15

दिनांक- 12/7/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक, उदयपुर
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, उदयपुर
- 4 संबंधित संस्था प्रधान
- 5 अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर, कार्यालय हाजा
- 6 श्रीमती प्रेमलता जोशी, व्या. हिन्दी, राउमावि सारंगपुरा-कानोड-उदयपुर
- 7 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

कुमारी माया महेता, व्या. हिन्दी, राउमावि कल्याणपुर-उदयपुर द्वारा राजस्थान सेवा नियम भाग-11 अध्याय 3 नियम 8 (क) के निर्णय सं. 05 अनुसार अपना नाम कुमारी माया महेता के स्थान पर श्रीमती माया त्रिवेदी करने की समस्त कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण किया है।

अतः कुमारी माया महेता से संबंधित राजकीय सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों में इनका कुमारी माया महेता के स्थान पर श्रीमती माया त्रिवेदी किये जाने की अनुमति/विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है। भविष्य में कुमारी माया महेता से संबंधित आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम " श्रीमती माया त्रिवेदी " से संबोधित किया जावे/जारी किया जावे।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/नाम परिवर्तन/14-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक, उदयपुर
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, उदयपुर
- 4 संबंधित संस्था प्रधान
- 5 अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर, कार्यालय हाजा
- 6 श्रीमती माया त्रिवेदी, व्या. हिन्दी, राउमावि कल्याणपुर-उदयपुर
- 7 रक्षित पत्रावली

दिनांक- 12/7/18



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री शंकरलाल बैरवा, व्या. हिन्दी, राउमावि खैराबाद- भीलवाडा द्वारा राजस्थान सेवा नियम भाग-11 अध्याय 3 नियम 8 (क) के निर्णय सं. 05 अनुसार अपना नाम श्री शंकरलाल बैरवा के स्थान पर संदीप लोडेतिया करने की समस्त कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण किया है।

अतः श्री शंकरलाल बैरवा से संबंधित राजकीय सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों में इनका नाम श्री शंकरलाल बैरवा के स्थान पर संदीप लोडेतिया किये जाने की अनुमति/विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है। भविष्य में श्री शंकरलाल बैरवा से संबंधित आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम "संदीप लोडेतिया" से संबोधित किया जावे/जारी किया जावे।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/नाम परिवर्तन/14-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक, अजमेर
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, भीलवाडा
- 4 संबंधित संस्था प्रधान
- 5 अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर, कार्यालय हाजा
- 6 श्री संदीप लोडेतिया, व्या. हिन्दी, राउमावि खैराबाद- भीलवाडा
- 7 रक्षित पत्रावली

दिनांक- 12/7/18



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्रीमती सुनीता शर्मा व्या. हिन्दी, बा0उमावि0 मसूदा- अजमेर द्वारा राजस्थान सेवा नियम भाग-11 अध्याय 3 नियम 8 (क) के निर्णय सं. 05 अनुसार अपना नाम श्रीमतीसुनीता शर्मा के स्थान पर श्रीमती सुनीता रावत करने की समस्त कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण किया है।

अतः सुनीता शर्मा से संबंधित राजकीय सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों में इनका नाम श्रीमती सुनीता शर्मा के स्थान पर श्रीमती सुनीता रावत किये जाने की अनुमति/विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है। भविष्य में सुनीता शर्मा से संबंधित आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम " श्रीमती सुनीता रावत " से संबोधित किया जावे/जारी किया जावे।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/नाम परिवर्तन/14-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक, अजमेर
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, अजमेर
- 4 संबंधित संस्था प्रधान
- 5 अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर, कार्यालय हाजा
- 6 श्रीमती सुनीता रावत, बा0उमावि0 मसूदा- अजमेर
- 7 रक्षित पत्रावली

दिनांक- 12/7/18



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर